



दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

पत्रांक: दी०द०उ०गो०वि०वि०/सम्बद्धता/2015 - 146

दिनांक 30/04/2015

सेवा में,

प्रबन्धक,

ललिता कालेज ऑफ एजुकेशन, अहिरौली बघेल,
देवरिया।

विषय: प्रबन्ध समिति की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 14.04.2015 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के सम्बन्ध में कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय की सोसाइटी नवीनीकरण के पश्चात प्रबन्ध समिति का अवधि विस्तारण करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2(13) के अन्तर्गत प्रबन्ध समिति का अनुमोदन के चुनव की तिथि 14.04.2015 से 13.04.2020 तक अथवा सोसायटी नवीनीकरण की तिथि जो भी पहले हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ मान्यता प्रदान करने की कृपा की है कि भविष्य में महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई सूचना त्रुटिपूर्ण/ भ्रामक/ असत्य पाई जाती है तों प्रबन्ध समिति अनुमोदन के निरस्तीकरण के साथ-साथ महाविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य निम्नदत् होंगे :-

1.	डॉ० के०एम० सिंह	अध्यक्ष
2.	प्रो० एम०के० मित्रा	उपाध्यक्ष
3.	श्री के०पी० सिंह	प्रबंधक
4.	श्री गंगा राम सिंह	उपप्रबंधक
5.	श्रीमती मीना सिंह	कोषाध्यक्ष
6.	डॉ० ए०जी० रिज़वी	सदस्य
7.	श्री राकेश कुमार सिंह	सदस्य
8.	श्री अजय सिंह	सदस्य
9.	प्राचार्य (परिनियम 13.05 के अनुसार)	पदेन सदस्य
10.	शिक्षक प्रतिनिधि (परिनियम 13.05 के अनुसार)	पदेन सदस्य
11.	शिक्षणेत्तर प्रतिनिधि (परिनियम 13.05 के अनुसार)	पदेन सदस्य

अतः तदनुसार अवगत होंगे।

भवदीय,

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)


प्रबन्धक
ललिता कालेज ऑफ एजुकेशन
अहिरौली बघेल, देवरिया (उ.प्र.)

